फा.सं. 4-181/2018-19/रा.म.आ.(प्रशा.)
राष्ट्रीय महिला आयोग
भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025,

***

तारीख: 8 नवंबर, 2018

विषय: आयोग की 185वीं बैठक के कार्यवृत्त - के संबंध में

तारीख 17 अक्तूबर, 2018 को 3.00 बजे अपराह्न में आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 185वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
3. उप सचिव के निजी सचिव
4. अवर सचिव(पी.के.)/वेतन और लेखा अधिकारी/ अवर सचिव(बी.एस.)
5. परामर्शदाता (रा.भा.) से अनुरोध है कि इस कार्यवृत्त का अनुवाद करें
6. ज्येष्ठ प्रोग्रामर (आर.टी. प्रकोष्ठ) लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 17 अक्तूबर, 2018 को 3.00 बजे अपराह्न में राष्ट्रीय महिला आयोग के, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 185वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ.
2. श्री आलोक रावत, सदस्य, रा.म.आ.
3. डा. सतबीर बेदी, सदस्य-सचिव, रा.म.आ.

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री कुन्दल लाल शर्मा, संयुक्त सचिव, रा.म.आ.
2. सुश्री ज्योति सिंघल, उप सचिव, रा.म.आ.
3. सुश्री प्रीति कुमार, अवर सचिव, रा.म.आ.

आरंभ में ही सदस्य सचिव ने तारीख 17.10.2018 को अध्यक्ष को भेजे गए टिप्पण को निर्दिष्ट करते हुए "अनंतिम कार्यसूची" की बाबत अभिलेख पर अपनी यह टिप्पणी रखी कि आयोग की बैठक से ठीक पहले कार्यसूची विचार करने के लिए रखी गई है। सदस्य-सचिव ने यह उल्लेख किया कि तारीख 16.10.2018 को उनके कार्यालय में बैठक की सूचना प्राप्त हुई थी और उससे एक दिन पहले उनके कार्यालय में 6.18 बजे अपराह्न में "अनंतिम" कार्यसूची प्राप्त हुई थी। आयोग के विनियमों को निर्दिष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह बैठक व्यर्थ है क्योंकि नियत बैठक आयोजित करने के कम से कम तीन कार्य दिवस पहले कार्यसूची मदों को परिचालित करने से संबंधित सन्नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सदस्य-सचिव ने यह निर्दिष्ट किया कि विनियमों में उल्लिखित सन्नियमों के अनुसार किसी भी कार्यसूची मद को उनके माध्यम से नहीं भेजा जा रहा है और सदस्य सचिव के स्पष्ट अनुमोदन के बिना ऐसी कार्यसूची अनंतिम बनी रहेगी। सदस्य-सचिव ने यह भी निर्दिष्ट किया कि विगत पद्धति के होते हुए भी अब से आगे आयोग की बैठकों को बुलाने के लिए विनियमों का पालन किया जाएगा।

2. अध्यक्ष महोदया ने यह मत व्यक्त किया कि पहले भी आयोग ने इसी रीति में कार्यसूची मदों को देने की प्रणाली का पालन किया है और निरपवाद रूप से 3 वर्ष से ऊपर उनके कार्यकाल के दौरान अधिकतर मामलों में केवल कुछ घंटे पहले कार्यसूची मदों को परिचालित किया जाता है और इस बार यह कोई अपवाद नहीं है। अध्यक्ष महोदया ने यह भी इंगित किया कि संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा सदैव कार्यसूची मदों को तैयार किया जाता और संक्षिप्त नोट (ब्रीफ) का संपादन केवल भाषा में स्पष्टता/अग्रगमन के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

3. सदस्य (आलोक रावत) ने अभिलेख पर निम्नलिखित टीका-टिप्पणियां की:

(i) पहले भी ऐसे कई उदाहरण है जहां अंतिम समय पर मूल कार्यसूची परिदत्त की जाती रही है और कभी कभी इसे पटल पर मदों के रूप में लाया जाता है।

(ii) विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया में यह अपेक्षित है कि अध्यक्ष के साथ परामर्श करके सदस्य-सचिव द्वारा कार्यसूची तैयार की जाएगी या करवाई की जाएगी। सदस्य (आलोक रावत) ने यह मत व्यक्त किया कि अध्यक्ष, जो कि आयोग की प्रधान है, के निदेशानुसार अल्प सूचना पर विद्यमान कार्यसूची तैयार की गई है।

(iii) सदस्य (आ.रा.) ने यह भी उल्लेख किया कि सूची में 28 कार्यसूची मदें हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सदस्य-सचिव को संकोच है तब कार्यसूची की ऐसी मदों पर विचार किया जा सकता है जिनके वित्तीय परिणाम न हो। आनुकल्पिक रूप से सदस्य (आ.रा.) ने यह प्रस्तावित किया कि हिमाचल प्रदेश की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यसूची मद सं. 12 पर अलग से विचार किया जा सकता है और अन्य नेमी मदों पर इस बैठक में विचार किया जा सकता है।

4. सदस्य (आ.रा.) ने यह भी इंगित किया कि यदि हम 'अनंतिम' शब्द का संज्ञान भी ले तब भी तारीख 19.4.2018 को आयोजित आयोग की 184वीं बैठक से संबंधित कार्यसूची मद सं. 1, जिसके कार्यवृत्त के संबंध में फाइल पर कार्यवाही की गई थी, उस पर सदस्य-सचिव और अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर है इसलिए इसे किसी भी तरह 'अनंतिम' नहीं माना जा सकता है। सदस्य (आ.रा.) तीन वर्ष से आयोग के सदस्य है और उन्हें ऐसा कोई भी दृष्टांत याद नहीं है जहां मानक कार्यसूची मद सं.1, जो कि पूर्व बैठक का कार्यवृत्त होता है, पुष्टि न की गई हो। पूर्व बैठकों के कार्यवृत्तों का सदैव अनुसमर्थन किया जाता है और इसलिए कार्यसूची मदों की सूची में अभिव्यक्ति 'अनंतिम' इस मद के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होती है।

5. सदस्य-सचिव ने अभिलेख पर यह बात रखी कि चूंकि कार्यसूची "अनंतिम" है इसलिए इसे आयोग के समक्ष विचार करने के लिए नहीं रखा जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर रा.म.आ. के संयुक्त सचिव ने कहा कि हो सकता है 'अनंतिम' शब्द टंकण/लिपिकीय त्रुटि के कारण शामिल हो गया हो। सदस्य-सचिव ने आयोग के ध्यान में यह बात लाई कि क्योंकि कार्यसूची को अनुमोदन के लिए उनके माध्यम से नहीं भेजा जा रहा है इसलिए कार्यसूची अनंतिम है। उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया कि कार्यसूची मद सं. 16, जिसका संबंध केरल में पादरियों द्वारा महिलाओं को ब्लैकमेल करने और लैंगिक उत्पीड़न से है, को आयोग के अन्य सदस्यों के आने के पश्चात् रखा जाएगा।

6. अध्यक्ष ने अभिलेख पर यह बात रखी कि तारीख 16.10.2018 की सुबह तक अध्यक्ष महोदया का यह प्रस्ताव था कि नए सदस्यों के पद ग्रहण करने के पश्चात् ही आयोग की बैठक की जाए। तथापि, उन्हें सदस्य-सचिव से दो टिप्पण प्राप्त हुए जिनमें हिमाचल प्रदेश में ई.डब्ल्यू.आर. प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श करने ओर आयोग की बैठक में संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आमंत्रित करने की ईप्सा की गई थी। अध्यक्ष महोदया ने यह इंगित किया कि इन दोनों टिप्पणों में सदस्य-सचिव ने कहीं भी कार्यसूची के परिचालन में विलंब के बारे में उल्लेख नहीं किया है। सदस्य (आ.रा.) के साथ परामर्श करने के पश्चात्, जिनकी यह राय थी कि यथाप्रस्तावित बैठक बुलाई जा सकती है, इसलिए तारीख 17 अक्तूबर, 2018 को बैठक बुलाई गई।

7. बैठक के दौरान अन्य कार्यसूची मद पर विचार नहीं किया गया।

8. अध्यक्ष को और उनकी ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य-सचिव, रा.म.आ.

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.